<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद न्यायपीठ 'डी' अहमदाबाद।</u>

समक्ष सुश्री सुचित्रा काम्बले, न्यायक सदस्य <u>एवं</u>
श्री नरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, लेखा सदस्य

आयकर अपील सं. 832/एएचडी/2024

लालभाई पोपटलाल चेरिटेबल ट्रस्ट 1081, किका भट्ट की पॉल, दरियापुर, अहमदाबाद- 380001 गुजरात (स्थायी ले.सं. एएएटीएल0855सी)	**<u>बनाम</u>**	आयकर आयुक्त (छूट) अहमदाबाद।
(अपीलार्थी)		**(प्रत्यर्थी)**

निर्धारिती की ओर से	श्री मेहुल के पटेल, एआर
राजस्व की ओर से	डॉ. दरसी सुमन रतनाम सीआईटी-डीआर
सुनवाई की तारीख	21.06.2024
उच्चारण की तारीख	25.06.2024

<u>आदेश</u>

<u>श्री नरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, लेखा सदस्य द्वारा</u>

आवेदक ट्रस्ट द्वारा वर्तमान अपील, आयकर आयुक्त(छूट) अहमदाबाद (संक्षिप्त में सीआईटी (छूट)) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2022 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 12ए के तहत अनुमोदन के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. इस अपील को दायर करने में 464 दिनों का विलंब हुआ और विलंब का कारण बताते हुए एक शपथ-पत्र दायर किया गया। सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान परामर्शदाता ने प्रस्तुत किया कि इस दौरान निर्धारिती को, दायर किए गए नए आवेदन के अनुसरण में दिनांक 11.06.2024 अधिनियम की धारा 12 के तहत पंजीकरण स्वीकृत किया गया है। इसलिए उन्होंने अपील वापस लेने की अनुमति मांगी है। इस आशय का एक पत्र दिनांक 20.06.2024 को भी दायर किया गया है।

3. विद्वान सीआईटी-डीआर को अपील वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. हमने प्रस्तुतियों पर विचार किया है। अधिनियम की धारा 12ए के तहत बाद में पंजीकरण स्वीकृत करने के कारण निर्धारिती के वर्तमान अपील निष्फल हो गई है। अतः अपील वापस लेने का निवेदन स्वीकार किया जाता है।

5. निर्धारिती की अपील वापस ली गई मानकर ख़ारिज की जाती है।

दिनांक.........25.06.2024 को खुले न्यायालय में आदेश का उच्चारण किया गया।

हस्ता/-	**हस्ता/-**
सुचित्रा काम्बले	**नरेन्द्र प्रसाद सिन्हा**
(न्यायिक सदस्य)	**(लेखा सदस्य)**

True Copy

अहमदाबाद दिनांकः...25/06/2024

आदेश की प्रतिलिपि अग्रेषितः-

1. निर्धारिती
2. राजस्व
3. संबंधित आयकर आयुक्त
4. आयकर आयुक्त(अपील)-
5. विभागीय प्रतिनिधि, आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद।
6. गार्ड फाइल

आदेश से,

सहायक पंजीकार
आयकर अपीलीय अधिकरण,
अहमदाबाद न्यायपीठ, अहमदाबाद ।